



दिनांक: 27.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की अलग-अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चैन (पीली धातु), 01 सिक्का (सफेद धातु), 06 जोड़ी व 01 पायल (सफेद धातु), 04 जोड़ी बिछुए (सफेद धातु), 01 स्कूटी जूपिटर, 01 मोसा सूपर स्प्लैण्डर, 4000/- रुपये नगद, 01 चैक व 01 आधार कार्ड बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.12.2025 को वादी राकेश कुमार शर्मा पुत्र महेन्द्र पाल निवासी रूप विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से 60,000/- रुपये व आभूषण चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 743/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1. नवाब हैदर पुत्र चाँद मिया उर्फ हसन निवासी नियाजीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर 2. चाँद उर्फ चंदु उर्फ टुटा पुत्र युशुफ निवासी खालापार कितवई नगर राशिद पब्लिक स्कूल के पास 40 फुटा रोड के पास जनपद मुजफ्फरनगर को बन्द भट्टा नवादा रोड से गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्तों के कब्जे से थाना सदर बाजार, जनकपुरी, कुतुबशेर व थाना देवबंद पर पंजीकृत मुकदमों से सम्बन्धित 01 चैन (पीली धातु), 01 सिक्का (सफेद धातु), 06 जोड़ी व 01 पायल (सफेद धातु), 04 जोड़ी बिछुए (सफेद धातु), 01 स्कूटी जूपिटर, 01 मोसा सूपर स्प्लैण्डर, 4000/- रुपये नगद, 01 चैक व 01 आधार कार्ड बरामद हए। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- नवाब हैदर पुत्र चाँद मिया उर्फ हसन निवासी नियाजीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- चाँद उर्फ चंदु उर्फ टुटा पुत्र युशुफ निवासी खालापार कितवई नगर राशिद पब्लिक स्कूल के पास 40 फुटा रोड के पास जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 चैन पीली धातु (मु0अ0स0 743/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर)
- 01 सिक्का सफेद धातु (मु0अ0स0 634/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर)
- 2000/- रुपये (मु0अ0स0 728/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर)
- 01 आधार कार्ड व 2000/- रुपये (मु0अ0स0 334/25 धारा 331(4)/305(a) बी0एन0एस0 थाना जनकपुरी, सहारनपुर)
- 01 जोड़ी व 01 पायल सफेद धातु व 01 स्कूटी जूपिटर न0 UP11CJ-1621 (सम्बन्धित मु0अ0स0 555/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर)

6. **03 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 चैक** (मु0अ0स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर)
7. **01 चैक** (मु0अ0स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर)
8. **04 जोड़ी बिछुए सफेद धातु** (मु0अ0स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a) बीएनएस थाना देवबन्द स0पुर)
9. **01 जोड़ी पायल सफेद धातु** (मु0अ0स0 1091/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर)
10. **01 जोड़ी पायल** (मु0अ0स0 1091/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर)
11. **01 मोटर साइकिल** सुपर स्प्लैण्डर न0- UP12AC9086 (घटना में प्रयुक्त)

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 743/25 धारा 331(4)/305(a) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 634/25 धारा 331(4)/305(a) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 728/25 धारा 305(a.) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 334/25 धारा 331(4)/305(a) बी0एन0एस0 थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 555/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर।
8. मु0अ0स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर।
9. मु0अ0स0 1091/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर।
10. मु0अ0स0 1091/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विनोद तैवतिया थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 825मनोज खोखर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 27.12.2025

-प्रेस नोट-

## थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफतार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2025 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गौतम पुत्र सत्यप्रकाश निवासी सुक्खपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु030सं0 152/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफतारी एवं नाबालिग की बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.12.2025 को पीड़िता उपरोक्त को सकुशल बरामद किया गया तथा मुकदमे में वांछित **अभियुक्त गौतम पुत्र सत्यप्रकाश निवासी सुक्खपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफतार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 64(1) बीएनएस व 3/4(1) पॉक्सो एकट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफतार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौतम पुत्र सत्यप्रकाश निवासी सुक्खपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

### गिरफतार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
- है0कां0 217 ब्रजमोहन थाना जनकपुरी सहारनपुर।
- है0कां0 649 मनवीर, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
- म0कां0 02 राखी, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



दिनांक: 27-12-2025

-प्रेस नोट-

## थाना गंगोह, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगे गये 1,50,000/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2025 को शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से कुल 1,91,500/- रुपये की धनराशि ठग लेने के सम्बन्ध में साइबर हेल्पलाईन वेबसाईट पर शिकायत सं0 23111250194197 दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जन-मानस को जागरूक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.12.2025 को थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 1,91,500/- रुपये में से 1,50,000/- रुपये की धनराशि को विधिक कार्यवाही करते हुए कोटेक महिन्द्रा बैंक के खाते में होल्ड कराकर 1,50,000/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा ठगी गयी रकम के 1,50,000/- रुपये की धनराशि खाते में वापस पाकर थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया।

### साइबर ठगी के रुपये वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बृजलाल गंगवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. कम्प्यूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक 27.12.2025

## "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 32 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 6,40,000 रु0/-) बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “**आपरेशन सवेरा**” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.12.2025 को गर्स्त के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. सोबान पुत्र रिजवान नि0 मौ0 कुरैशियान कर्स्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. साजिद उर्फ मुखिया पुत्र भूरा नि0 मौ0 गुलाम ओलिया कर्स्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को गंगोह सहारनपुर डिग्री कालेज रोड चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सोबान उपरोक्त से अवैध स्मैक कुल वजन 17 ग्राम बरामद हुयी व अभियुक्त साजिद उर्फ मुखिया से अवैध स्मैक कुल वजन 15 ग्राम बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 622/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एकट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण 1. सोबान उपरोक्त व 2. साजिद उर्फ मुखिया उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंकों की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. सोबान पुत्र रिजवान नि0 मौ0 कुरैशियान कर्स्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. साजिद उर्फ मुखिया पुत्र भूरा नि0 मौ0 गुलाम ओलिया कर्स्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

### **बरामदगी का विवरण-**

- 32 ग्राम अवैध स्मैक

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. का0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 27-12-2025

-प्रेस नोट-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 27.12.2025 को आरटीसी पुलिस लाईन जनपद सहारनपुर में आरक्षी नागरिक पुलिस का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे समस्त रिक्रूट आरक्षियों को “आग की घटनायें—अग्निशमन/बचाव कार्य हेतु दायित्व—क्या करे, क्या न करें” के संबंध में जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु जनपद सहारनपुर की अग्नि निरोधक दस्ते की टीम को आमंत्रित किया गया। श्री प्रताप सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद सहारनपुर एवं उनकी टीम द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को “आग की घटनायें—अग्निशमन/बचाव कार्य हेतु दायित्व—क्या करे, क्या न करें” बारे में जानकारी, बचाव के तरीके व कार्यवाही तथा डैमोस्ट्रेशन आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रभारी आरटीसी व श्री मनोज कुमार, मेजर आरटीसी व अन्य आईटीआई/पीटीआई उपस्थित रहे।



दिनांक: 27.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित**

### अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी माल बरामद

#### **घटना का विवरण:-**

दिनांक 15.12.2025 को वादी श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र महेन्द्र पाल निवासी रूप विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से 60,000/- रुपये व आभूषण चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0300स0 743/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

#### **पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा नकबजन/चोर/वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित अभियुक्त तुषार वर्मा पुत्र विनोद कुमार निवासी म0 नं0 13 मण्डी कोना सरफा बाजार मोतीमहल थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर को देवबन्द रोड भट्ठा कालोनी रेलवे यार्ड से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 जोड़ी पायल व 01 बिछुआ, 01 बिस्कुट सफेद धातू (कुल वजन 57.10 ग्राम) व 01 बिस्कुट सफेद धातू (कुल वजन 109.56 ग्राम), 01 पीली धातु की बट्टी आदि आभूषण/सामान बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मात्र 0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

तुषार वर्मा पुत्र विनोद कुमार निवासी म0 नं0 13 मण्डी कोना सरफा बाजार मोतीमहल थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर

#### **बरामदगी का विवरण:-**

- 01 जोड़ी पायल व 01 बिछुआ (सम्बन्धित मु0300स0 743/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार)
- 01 बिस्कुट सफेद धातू - कुल वजन 57.10 ग्राम (सम्बन्धित मु0300स0 1091/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द)
- 01 बिस्कुट सफेद धातू- कुल वजन 109.56 ग्राम (सम्बन्धित मु0300स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द)

➤ 01 पीली धातु की बट्टी (सम्बन्धित मु0अ0स0 1122/25 धारा 351(2)/305(a)) बीएनएस थाना देवबन्द

#### अनावरित अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0स0 743/25 धारा 331(4)/305(a) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 634/25 धारा 331(4)/305(a) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 728/25 धारा 305(a.) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 334/25 धारा 331(4)/305(a) बी0एन0एस0 थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 555/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 1122/25 धारा 331(2)/305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 1091/25 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना देवबन्द सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0 का0 825 मनोज थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. का0 2427 सोनू थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक 27.12.2025

-प्रेस नोट-

## थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल 17,400/-रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

### **घटना का विवरण:-**

दिनांक 24/11/2025 को आवेदक श्री कपिल कुमार पुत्र जमनादास नि0 लक्ष्मण पुरी कालोनी, खलासी लाइन, सदर बाजार, जनपद सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के गुम हुए फोन से UPI के माध्यम से ₹0 17,400/- ऑनलाइन धोखाधड़ी कर फ्राड कर लेने की सूचना प्राप्त हुई थी।

### **पुलिस कार्यवाही:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड मे ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रभावी कार्यवाही करते हुए ठगी गयी धनराशि को सम्बन्धित बैंक होल्ड कराया गया था।

इसी क्रम में उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.12.2025 को आवेदक श्री कपिल कुमार पुत्र जमनादास उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी शतप्रतिशत धनराशि ₹0 17,400/- पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

### **धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-**

- प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- विवेचक निरीक्षक श्री संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 907 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 712 निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- म०है०का० 189 रुचि शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

**CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या [WWW.CYBERCRIME.GOV.IN](http://WWW.CYBERCRIME.GOV.IN) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।**



दिनांक: 27.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ	पुलिस	अधीक्षक	जनपद	सहारनपुर	उत्तर	प्रदेश
--------	-------	---------	------	----------	-------	--------

थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी **कुल**

**49,000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस**

### घटना का विवरण:-

दिनांक 24.12.2025 को पीडित श्री आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम लुण्डी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा स्वयं के साथ कुल 49,000/- रुपये की साइबर ठगी हो जाने के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर शिकायत सं 033112250190017 दर्ज करायी थी।

### पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा उक्त प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त के साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि **49,000/- रुपये शत प्रतिशत धनराशि बैंक से समन्वय स्थापित कर होल्ड करा दी गयी थी।**

इसी क्रम में उपरोक्त साइबर शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि **49,000/- रुपये शत प्रतिशत पीडित के खाते में वापस करायी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर साइबर हेल्प डेस्क थाना रामपुर मनिहारन का आभार प्रकट किया।**

### पीडित का नाम व पता:-

श्री आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम लुण्डी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण

49,000/- रुपये

### धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्प डेस्क टीम:-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० पुष्पेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. म०उ०नि० नेहा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. कम्प्यूटर आपरेटर कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
5. है०का० 1067 दीपक थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
6. म०का० 775 आकांक्षा सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27-12-2025

## थाना सदर बाजार मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा सडक पर आने-जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्बितयां करने वाला 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत मनचले अपराधियों पर जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.12.2025 को थाना सदर बाजार मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा स्टेट बैंक कालोनी आईटीआई रोड पर आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्बितया करने वाला 01 मनचला अभियुक्त ओमी सैनी पुत्र आत्माराम सैनी निवासी उत्तराखण्ड कालोनी गलीरा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को स्टेट बैंक कालोनी आईटीआई रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 769/25 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मार्ग न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. ओमी सैनी पुत्र आत्माराम सैनी निवासी उत्तराखण्ड कालोनी गलीरा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- म0उ0नि0 चचल कुमारी, प्रभारी मिशन शक्ति टीम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- है0का0 811 प्रवीण कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- म0का0 121 राश्मि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- म0का0 86 नेहा कौशिक थाना सदर बाजार सहारनपुर